रेस्टो 1707-PBR-15

न्यायालय माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर

पुर्नस्थापन प्र.क्र. आर/15

बाबूलाल आत्मज मन्नूलाल आयु 73 वर्ष, कृषक

निवासी–मोगरा तहसील रेहटी,

जिला–सीहोर (म.प्र.) .....आवेदक

विरूद्ध

1. मुकेश कुमार आत्मज किशोरीलाल

2. बाजूलाल आत्मज मुन्नालाल (मृत) द्वारा–विधिक वारिसान

ए– सुरेश आत्मज बाजूलाल

बी– बलवान सिंह आत्मज स्व. महेश

सी– सुल्तान सिंह आत्मज स्व.महेश

डी– श्रीमती भूरियाबाई पुत्री बाजूलाल पत्नी श्री अनूपसिंह

निवासी–ग्राम सलकनपुर तहसील रहेटी जिला–सीहोर

ई– श्रीमती गीता पुत्री बाजूलाल पत्नी रामाधार

निवासी–ग्राम सोयत तहसील रेहटी जिला–सीहोर

एफ– श्रीमती विमला पुत्री बाजूलाल पत्नी श्री रघुराज सिंह

निवासी–ग्राम सेल तहसील सिवनी मालवा होशंगाबाद

3. रामलाल आत्मज मुन्नालाल

4. रमेश आत्मज मुन्नालाल

समस्त निवासीगण ग्राम मोगरा,

तहसील रेहटी जिला सीहोर (म.प्र.) ....अनावेदकगण

रिवीजन पुर्नस्थापन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) म.प्र.भू.रा.संहिता

आवेदक की ओर से सविनय निवेदन है :–

निरन्तर.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो0 1707–अध्यक्ष/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–8–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12–1–2015 का अवलोकन किया गया । आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा लगभग 11 पेशियों पर उपस्थित नहीं होने के कारण यह निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है, प्रकरण समाप्त किया गया है, अतः इस आदेश के विरूद्ध पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पुर्नविलोकन आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । क्योंकि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत पक्षकार की अनुपस्थिति में प्रकरण निरस्त किया गया हो अथवा उसकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर प्रकरण का निराकरण किया गया हो तब संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। अतः यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं होने के कारण अग्राह्य किया जाता है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	